कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/39881/2019/ 132 भोपाल, दिनांक 12-01-22

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– **Proposal for diversion of 354.258 ha. forest land/revenue forest land (314.743 ha.) of forest land + 39.515 ha. of revenue forest land = 354.258 ha. forest land) for Jhiria West Open cost Coal Mining in favour M/s South Eastern coal fields Limited, (SECL) Anuppur District of Madhya Pradesh (Online Proposal No. FP/MP/MIN/39881/2019)- regarding.**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. / 8-14/2020-FC दिनांक 26 / 08 / 2020

——0——

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. / 8-14/2020-FC दिनांक 26 / 08 / 2020 से 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी मुख्य वन संरक्षक शहडोल के पत्र क्र 142 दिनांक 05 / 01 / 2022 से प्रस्तुत की गई है, प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	The NOC from other land owning agencies other than State Forest Department shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा लेख किया गया है कि कोल ब्लॉक कुल रकबा 427.993 हेक्टेयर क्षेत्र, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा–9 (1) के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है। जिसमें से आवेदित वनक्षेत्र 354.258 हेक्टेयर वनभूमि है एवं शेष 73.735 हेक्टेयर अन्य भूमि है। अधिनियम की धारा–8 (1) के प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसके बाबत धारा–7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाल जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किये जाने के बारे में आपत्ति कर सकता । इस प्रकरण में किसी भी भू–स्वामी या भू–विस्थापित द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है जिसके पश्चात् ही भारत सरकार द्वारा उपरोक्त कोल ब्लॉक क्षेत्र रकबा 427.993 हे. को धारा–9 (1) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का.आ.– 322 दिनांक 05 / 03 / 2019 की प्रति तथा आवेदक संस्था का इस बिन्दु पर दिया गया उत्तर संलग्न है।

ii	A. Proposal has been submitted for 354. 258 Ha. wheras as per the State Government recommendation, in Part-V proposal diversion is for 347.115 ha but the Kml file submited with the proposal is of 354.512 ha. Hence a resived Kml file shall be submitted duly accounting for those foest areas which are not recommended by the State Government for diversion.	राज्य सरकार द्वारा प्रपत्र– V में आवेदित रकबा 354.258 हे. वनभूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है, जिसमें से रकबा 343.874 हे. वनक्षेत्र कोयला उत्खनन एवं रकबा 3.241 हे. रोड़ निर्माण के रूप में प्रयोग किया जाना है एवं शेष वनक्षेत्र 7.143 हे. (वन कक्ष क्रमांक PF-492 रकबा 1.734 हे.; PF-493 रकबा 2.437 हे., PF-498 रकबा 1.396 हे., तथा RF-502 रकबा 1.576 हे.) खनन से मुक्त रखने व सेफ्टी जोन क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाना है।
	B. As per site Inspection Report of CCF remaining 7.143 ha forest land which state Government has not recommended may be considered for mining Safety Zone' . Whether this preposition is accoeptable to the user agency. If agreeable, changed land use plan need submission.	मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2020 अनुसार प्रकरण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में से वन कक्ष क्रमांक PF-492 रकबा 1.734 हे. , PF-493 रकबा 2.437 हे. ,PF-498 रकबा 1.396 हे. एवं RF-502 रकबा 1.576 हे. कुल 7.143 हे. वनभूमि की अनुशंसा उत्खनन कार्य ना कर केवल माइनिंग सेफ्टी जोन या अन्य कार्य हेतु किया गया है जो आवेदक संस्था को मान्य है। तदानुसार परिवर्तित लैण्ड यूज प्लान की प्रति संलग्न है।
iii	As per DSS analysis (copy enclosed), Compensatory Afforestation sites (16 partches of degraded forest land) have issues and are not free from encumbrances. Hence revised CA land free from all encumbarces with site suitability certificate from the concerned DFO shall be submitted	16 पेचस में से 07 पेंचस जो वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र उपयुक्त नहीं पाये गये थे उन्हें पृथक कर उनके स्थान पर नये पेंचस जोडकर तैयार किये गये रकबा 710 हेक्टेयर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने के प्रमाण पत्र सहित तैयार की गई है जो निम्नानुसार हैः–

हटाया गया वन कक्ष		जोड़ा गया वन कक्ष		
वनमण्डल	वनकक्ष क्रमांक	वनमण्डल	वन कक्ष क्रमांक	रकबा
अनूपपुर	PF-350	अनूपपुर	PF-562	50
अनूपपुर	RF-521, 523	अनूपपुर	PF-566	50
अनूपपुर	RF-424	द. शहडोल	PF-896	50
अनूपपुर	PF-435	द. शहडोल	PF-962	50
अनूपपुर	RF-254	द. शहडोल	PF-964	30
अनूपपुर	RF-156	द. शहडोल	RF-969	50
अनूपपुर	PF-163	द. शहडोल	RF-1013	50
			योग–	330

इस प्रकार पूर्व के 07 पेंचस के रकबा 330 हेक्टेयर को हटाकर नवीन पेंचस 07 का रकबा 330 हेक्टेयर क्षेत्र जोडकर कुल 710 हेक्टेयर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित तैयार की गई है जिसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

iv	Detail Compensatory Afforestation scheme has not been submitted by the State Govt./User Agency.	बिन्दु क्रमांक– iii में दी गई जानकारी अनुसार
v	Regarding R&R plan, the State Government has submitted a booklet named Rehabilitation & Resettlement Policy of Coal India Ltd." instead of site specific R&R plan . Site specific R&R plan need submission.	इस प्रकरण से संबंधित Rehabilitation & Resettelment योजना की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। प्रति संलग्न है।

अतः मुख्य वन संरक्षक, शहडोल से प्राप्त जानकारी संलग्न कर प्रकरण में अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

12/01/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/39881/2019/133 भोपाल, दिनांक 12-01-22

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्य प्रदेश ।
2 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अनूपपुर मध्य प्रदेश
3 महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हंसदेव क्षेत्र, साउथ झगराखण्ड कालरी जिला करेरा, छत्तीसगढ

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

12/01/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

o/c